न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस0एस0 अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–1906–एक / 2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–05–2012 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला–सीधी के प्रकरण क्रमांक–130 / निगरानी / 2007–08

.....

1– संतशरण तनय स्व0 रामाधार द्विवेदी
2– श्यामनारायण तनय स्व0 रामाधार द्विवेदी
निवासीगण–ग्राम कुसमहर तसील रामपुर नैकिन
जिला–सीधी(म0प्र0)

------आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती देवमती पत्नी रामाधार द्विवेदी
2– राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी तनय रामाधार द्विवेदी
निवासी–ग्राम कोलगढ़ थाना मझौली, तहसील मझौली
जिला–सीधी(म0प्र0)
3– बसंतराम तनय हीराराम
निवासी–ग्राम देवगढ़ थाना चुरहट तहसील रामपुर नैकिन
जिला–सीधी(म0प्र0)
4– मध्यप्रदेश शासन

-------अनावेदकगण

.....

श्री राकेश कुमार तिवारी, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/08/2017 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, जिला–सीधी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–05–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक रामाधर ने नायब तहसीलदार वृत्त हनुमानगढ़, तहसील रामपुर नैकिन के समक्ष नक्शा में त्रुटि सुधार किये जाने हेतु संहिता की धारा 89 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । नायब तहसीलदार रामपुर ने प्रकरण पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 26.09.2006 को आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया । इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदिका देवमती एवं राजेन्द्र

प्रसाद के द्वारा अपर कलेक्टर सीधी के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर सीधी ने प्रकरण क्रमांक 130/निग0/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2012 से अनावेदकगण की निगरानी स्वीकार कर नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त किया। अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषकों के तर्क प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण का निराकरण प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर किया जावे। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ आवेदक अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि संहिता की धारा 89 के अंतर्गत कार्यवाही करने की अधिकारिता नायब तहसीलदार को प्राप्त है? मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 89 के अंतर्गत बन्दोंबस्त में हुई त्रुटि को सुधार करने की अधिकारिता अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार द्वरा अधिकारविहीन आदेश पारित कर त्रुटि का सुधार किया गया है। इसी कारण अनावेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 11.05.2012 को निगरानी स्वीकार कर नायब तहसीलदार के त्रुटिपूर्ण आदेश को निरस्त किया है। इसके अतिरिक्त अपर कलेक्टर द्वारा निकाला गया निष्कर्ष उचित है कि जब प्रश्नाधीन भूमि के आवेदक पूर्व में भूमिस्वामी नहीं थे, किन्तु नायब तहसीलदार ने आदेश पारित कर त्रुटि सुधार के समय आवेदक को भूमिस्वामी बना दिया। नायब तहसीलदार के अधिकारविहीन एवं त्रुटिपूर्ण आदेश को अपर कलेक्टर द्वारा निरस्त करने में कोई अवैधानिकता एवं अनियमितता नहीं की गई है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर दर्शित परिस्थितियों को देखते हुये आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर कलेक्टर सीधी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–05–2012 न्यायसंगत एवं विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,